न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 216/2022 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 22.12.2022
G.C.M.S. NO. :- 2022/216

कालू पिता नारायण जाति जाट, आयु वयस्क, निवासी भागल, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये उप तहसीलदार, भादसोड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश दिनांक 12.12.2022 न्यायालय उप तहसीलदार भादसोड़ा, प्रकरण बमिसल क्रमांक 698/2022

उपस्थितिः–1– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 21.08.2024

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का पोटलाकलां की रिपोर्ट के आधार पर मौजा भागल की आराजी नम्बर 101 रकबा 3.16 हैक्टेयर में से रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण मानते हुए अपीलांट के विरूद्ध अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित

करने का आदेश पारित कर दिया जो अपने आप में अवैधानिक होकर अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। उप तहसीलदार, भादसोड़ा से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवार हल्का पोटलाकलां की रिपोर्ट के आधार पर मौजा भागल की आराजी नम्बर 101 रकबा 3.16 हैक्टेयर में से 0.06 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट द्वारा पक्की दीवार बनाकर टीनशेड़ ड़ालकर नाजायज कब्जा मानते हुए अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा लगान 1.00 रूपये का 50 गुणा अर्थात् 50/- रूपये की शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया जो अपने आप में अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का नाजायज कब्जा नहीं किया है वास्तविकता यह है कि आराजी नम्बर 101 के साबिक सेटलमेंट में आराजी नम्बर 62/9, 62/10, 62/11, 62/12 दर्ज रेकार्ड होकर बिलानाम भूमि रही है जो आबादी से लगी होकर बाडे के रूप में अपीलांट व अपीलांट के पिता नारायण को अलग-अलग मिसल क्रमांक 36/98 एवं 35/98 से 3-3 बिस्वा भूमि दिनांक 13.08.1998 को आवंटन होकर कब्जा सुपुर्द किया जाकर अपीलांट एवं अपीलांट के पिता अलग-अलग बाडे बनाकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं, उसके पश्चात् अपीलांट के पिता नारायण का स्वर्गवास हो जाने से अपीलांट दोनों बाडों को संयुक्त कर काबिज हो उपयोग-उपभोग करता चला आ रहा है जिससे अपीलांट का कब्जा नाजायज नहीं होकर वैध कब्जा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजीयाज गलत रूप से चारागाह दर्ज हो जाने के आधार पर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने व जुर्माना आरोपित करने का विवादित आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट द्वारा पेश जवाब को रेकार्ड पर नहीं लिया तथा साक्ष्य-सबूत पेश करने व सुनवाई का विधिवत अवसर दिए बगैर ही यह विवादित आदेश पारित कर दिया जो

अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का पारित आदेश दिनांक 12.12.2023 निरस्त फरमावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि वर्तमान में राजकीय चारागाह भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रथम आदेशिका दिनांक 22.11.2022 पर अपीलांट को सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए नोटिस/सूचना पत्र जारी किया जाकर पेशी दिनांक 05.12.2022 निर्धारित की गई है तथा द्वितीय आदेशिका दिनांक 05.12.2022 पर अंकित किया है कि ''गैरसायल उपस्थित। जवाब हेतु अवसर चाहा है अतः न्यायहित में अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 12.12.2022 को पेश हो।'' तथा तृतीय आदेशिका 12.12.2022 में अंकित किया है कि ''गैरसायलान उपस्थित। जवाब पेश शा. फा. किया। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।'' अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट प्रतिवेदित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के दिनांक 12.12.2022 को जवाब पेश करते ही निर्णय पारित कर दिया गया है तथा उसे साक्ष्य-सबूत पेश करने तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो कि अनुचित होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

यहां हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि कोई भी निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पक्षकारों को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है जो कि नैसर्गिग न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

प्र. सं. 216/2022 (रा. अ.)
कालू पिता नारायण जाट निवासी भागल, तहसील भदेसर बनाम सरकार जरिये उप तहसीलदार भादसोड़ा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2022 का अवलोकन किया जिसके पैरा संख्या 2 में वर्णित किया है कि ''पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को राज. लै. रे. एक्ट, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया, जो बाद तामील पेश होकर शामिल फाईल किया गया। अतिक्रमी उपस्थित जिसने मौखिक रूप अतिक्रमण करना स्वीकार किया।'' जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में लिखित जवाब पेश किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य–सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं देना तथा उसके द्वारा पेश किए गए लिखित जवाब का अवलोकन नहीं करना स्पष्ट प्रतिवेदित है।

निष्कर्षतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.12.2022 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा पेश किए गए लिखित जवाब को रेकार्ड पर लेकर उसका अवलोकन कर, अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने तथा विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नए सिरे से विधि–सम्मत् निर्णय पारित करें।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(राकेश कुमार)